

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक-रा0खा0आ0 (विविध)-30/2017- 73
प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय-

सिमडेगा जिला अन्तर्गत पकरीटांड प्रखण्ड (रामरेखा धाम के नजदीक), भागलपुर बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय सदस्यगण द्वारा सिमडेगा जिला भ्रमण के दौरान निरीक्षण के क्रम में सिमडेगा जिले के पकरीटांड प्रखण्ड (रामरेखा धाम के निकट), भागलपुर बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति दयनीय पाई गई थी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में जून, 2017 से बच्चों के लिए पोषाहार बन्द पाया गया। (एतद् सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न)

उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक-89 दिनांक-21.11.2017, पत्रांक-132 दिनांक-13.12.2017 एवं पत्रांक-631 दिनांक-12.10.2020 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से एवं पत्रांक-145 दिनांक-15.03.2018, पत्रांक-329 दिनांक-29.05.2018 तथा पत्रांक-493 दिनांक-26.11.2019 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमडेगा से उक्त मामले में समुचित कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी विषयांकित मामले में कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में आवश्यक जाँचोपरान्त दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक- 01.02.2022

ज्ञापांक-रा0खा0आ0 (विविध)-30/2017- 73

प्रतिलिपि:-निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।